माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

द्वितीय निगरानी क्रं. सन् 2012

R-282-II/2012

बिन्दा तनय श्री मुन्नी लाल काछी निवासी ग्राम कैड़ी तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. ---- --- आवेदक

बनाम

हरदयाल तनय श्री गजराज पटेल निवासी ग्राम कैड़ी तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.

2- शासन मध्य प्रदेश ----- -- अनावेदकगण

योग्य अपर आयुक्त सागर संभाग सागर मध्य प्रदेश के प्रकरण क्रं. 347अ 19 सन् 08-09 आदेश दिनांक 24-10-11 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

महोदय,

निवेदन है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर महोदय, छतरपुर के प्रकरण क्रं. 143/19 सन् 05-06 में पारित आदेश 16-12-07 के विरुद्ध एक निगरानी 7-10-11 को योग्य अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी, जिसे योग्य अपर आयुक्त सागर द्वारा 24-10-2011 को अवधि के बाहर मानकर निरस्त कर दिया गया है, इस आदेश से दुखी होकर आवेदक अन्य बहुत से कारणो में से निम्नलिखित कारणो पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि उक्त आदेश 24-10-2011 को पारित किया गया जिसकी नकल हेतु 23-12-2011 को आवेदन प्रस्तुत किया गया और 23-1-2012 को नकल दी गयी तथा तैयारी नकल 19-1-2012 लेख की गयी है इस कारण आवेदक की निगरानी अवधि के अन्दर है । क्योकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में दि 1-1-2012 के पूर्व के पारित आदेशो में निगरानी की अवधि 90 दिन ही लेख की गयी है।

2- यह कि आवेदक द्वारा योग्य कलेक्टर महोदय, छतरपुर के आदेश के विरुद्ध जो निगरानी प्रस्तुत की गयी थी, उसके साथ धारा 5 म्याद अधि.

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-282/दो/2012 **जिला** छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश बिन्दा/हरदयाल	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–12–2015	1– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। 2– यह निगरानी प्रकरण कमांक282/2/2012 राजस्व मण्डल में अपर आयुक्त सागर के प्रकरण कमांक 347/अ–19/08–09 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है। 3– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि निगराकार बिन्दा द्वारा अपर आयुक्त सागर के समक्ष निगरानी प्रकरण कमांक 347/अ–19/08–09 में बीमारी का कारण बताते हुए 292 दिवस विलम्ब से निगरानी हेतु आवेदन लगाया किन्तु बीमारी सम्बंधी कोई भी साक्ष्य या दस्तावेज उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किए, जिसके प्रकाश में अपर आयुक्त ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से विलम्ब का कोई प्रमाणित कारण नहीं पाते हुए प्रकरण निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हुई। 4– प्रकरण में मेरे द्वारा निगराकार के अधिवक्ता को चिकित्सकीय अभिलेखों की प्रतियां न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लगभग एक माह का समय दिया गया, जिसके बाद पेशी दिनांक 05.11.2015 को निगराकार के अधिवक्ता ने बताया कि निगराकार ने उन्हें सम्पर्क करने के बावजूद भी चिकित्सकीय अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया है, तथा इस प्रकाश में प्रकरण में योग्य निर्णय लेने हेतु निवेदन किया। 5– उपरोक्त कार्यवाही से अपर आयुक्त के प्रकरण को निरस्त करने का यह आधार कि विलम्ब हेतु बताए गये बीमारी के कारण के ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जा सके, पुनः पुष्ट हो गया है। इस प्रकाश में मैं अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दिनांक 24.10.2011 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हुए यह निगरानी इस न्यायालय से खारिज करता हूँ। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दालिख रिकार्ड हो। सदस्य	